

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2017/2471 विरुद्ध आदेश दिनांक 18-7-2017 पारित द्वारा तहसीलदार, राजधानी परियोजना टी.टी. नगर वृत्त भोपाल प्रकरण क्रमांक 33/अ-3/2016-17.

मैसर्स संकट मोचन एसोसिएट्स
द्वारा भागीदार अखिल, आत्मज अखिलेश
निवासी ग्राम बावडिया कला, तहसील हुजूर,
जिला भोपाल

.....आवेदक

विरुद्ध

1. सतीश चन्द्र गुप्ता एण्ड संस,
एच.यू.एफ. द्वारा सतीश चन्द्र गुप्ता,
निवासी 74 बंगला, भोपाल
2. आर.एस. कंस्ट्रक्शंस कंपनी
द्वारा भागीदार श्रीमती जयश्री मनवानी
वयस्क निवासी/पता ग्राम बावडिया कला,
तहसील हुजूर, जिला भोपाल
3. मध्यप्रदेश शासन

.....अनावेदकगण

.....
श्री रत्नेश शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री सी.एम. विश्वकर्मा, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 1
श्रीमती जयश्री भगवानी, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 2

:: आदेश ::

(आज दिनांक 7/6/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में 'संहिता' कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, राजधानी परियोजना टी.टी. नगर वृत्त भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 18-07-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।




2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा उसके भूमिस्वामी स्वत्व एवं आधिपत्य की ग्राम बावडियाकलां तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित खसरा क्रमांक 10/4/8/23 रकबा 0.075 हेक्टेयर भूमि के नक्शे में बटान कायम किये जाने हेतु संहिता की धारा 70 के अन्तर्गत आवेदन पत्र तहसीलदार, राजधानी परियोजना टी.टी. नगर वृत्त भोपाल आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 33/अ-3/2016-17 दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई। कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई, जिसे तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 18-7-2017 को आदेश पारित कर निरस्त किया गया। तहसीलदार के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं:-

- (1) आवेदक संकट मोचन द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से प्रश्नाधीन भूमि रकबा 0.121 हेक्टेयर क्रय की गई एवं मौके पर कब्जा प्राप्त किया गया और क्रय दिनांक से लगातार आज दिनांक तक मौके पर आवेदक का वास्तविक भौतिक आधिपत्य है। आवेदक के भूमि क्रय करने के पूर्व आवेदक की भूमि के पूर्व स्वत्वाधिकारियों का भूमि पर वास्तविक भौतिक आधिपत्य था।
- (2) आवेदक ने भूमि क्रय करने के उपरांत शासकीय राजस्व अभिलेखों में अपने नाम का नामांतरण करवाया है। आवेदक ने प्रकरण क्रमांक 63/अ-12/2014-15 द्वारा मौके पर दिनांक 10.02.2015 को सीमांकन कराया है, जिसे स्वीकार किया गया। आवेदक द्वारा प्रकरण क्रमांक 66/अ-2/13-14 में पारित आदेश दिनांक 02.08.2014 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजधानी परियोजना भोपाल से भूमि का डायवर्सन करवाया है एवं कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला भोपाल मध्यप्रदेश से दिनांक 28.08.2015 को भूमि का अभिन्यास अनुमोदित कराया गया तथा विकास अनुज्ञा प्राप्त की गई है। स्थल पर राजस्व अधिकारियों एवं संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग भोपाल के अधिकारियों द्वारा संयुक्ततः भूमि का सत्यापन कराया गया एवं नक्शा, अक्स एवं राजस्व अभिलेखों से मिलान कराया गया।
- (3) मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति में सीमांकन, विकास अनुज्ञा, भूमि के अभिन्यास का अनुमोदन एवं तत्पश्चात् स्थल पर आवेदक के कब्जे का भौतिक सत्यापन किया गया है। उक्त समस्त वैधानिक प्रक्रियाओं के उपरांत स्थल पर आवेदक का निर्माण कार्य जारी है।




- (4) अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा तहसीलदार, राजधानी परियोजना टी.टी. नगर, भोपाल के समक्ष एक आवेदक इस आशय का प्रस्तुत किया कि उनकी भूमि खसरा नंबर 10/4/8/23 रकबा 0.075 हेक्टेयर ग्राम बावडियाकलां भोपाल पर निर्माण कार्य संकट मोचन द्वारा किया जा रहा है, किये जा रहे निर्माण को रोका जावे, जबकि आवेदक संकट मोचन द्वारा सतीश चन्द्र गुप्ता की भूमि पर निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा था, जिस पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 612/बी-121/2016-17 (सतीश चंद्र गुप्ता विरुद्ध संकट मोचन ग्राम बावडिया कला, भोपाल) पंजीयत किया गया।
- (5) उक्त प्रकरण में राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 29.01.2017 को मौके पर जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें यह स्पष्ट लेख किया था कि आवेदक संकट मोचन एसोसिएट्स की भूमि के राजस्व नक्शे में बटान दर्ज है और आवेदक राजस्व नक्शे में दर्ज अनुसार मौके पर काबिज है। इस प्रतिवेदन में राजस्व निरीक्षक द्वारा यह भी लेख किया गया कि संकट मोचन की भूमि का पूर्व में सीमांकन, डायवर्सन, नजू-एन.ओ.सी., नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, भोपाल से उक्त भूमि का अभिन्यास स्वीकृत है और संकट मोचन मौके पर बटान अनुसार काबिज है।
- (6) उपरोक्त प्रकरण पर तहसीलदार द्वारा गुण-दोषों पर सुनवाई की गई और अंततः सतीश चंद्र गुप्ता/वर्तमान अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 13.02.2017 को अंतिमतः निरस्त कर दिया गया। इस आदेश के विरुद्ध वर्तमान अनावेदक सतीश चंद्र गुप्ता द्वारा कोई कार्यवाही किसी भी वरिष्ठ न्यायालय में नहीं की गई है।
- (7) तहसीलदार द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 13.02.2017 में इस आशय की फाईडिंग दी गई कि आवेदक अर्थात् वर्तमान अनावेदक क्रमांक 1 की भूमि का न तो बटान है ना सीमांकन है। आदेश में यह भी लेख है किया गया है कि संकट मोचन की भूमि के राजस्व नक्शे में बटान कायम है।
- (8) अनावेदक क्रमांक 1 सतीश चंद्र गुप्ता द्वारा इसी समान भूमि के मूल खसरा नंबरों की पूर्व में स्वीकृत बटानों के विरुद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, राजधानी परियोजना टी.टी. नगर, भोपाल के न्यायालय में प्रस्तुत की है, जिसका प्रकरण क्रमांक 3/अपील/16-17 (सतीश चंद्र गुप्ता विरुद्ध संकट मोचन एसोसिएट्स) है, जो वर्तमान में विचाराधीन है। एक अन्य आपत्तिकर्ता (वर्तमान अनावेदक क्रमांक 2) द्वारा प्रस्तुत बटान की अपील भी एस.डी.ओ. के न्यायालय में विचाराधीन है।




- (9) अनावेदक सतीश चंद्र गुप्ता द्वारा तहसीलदार के समक्ष दिनांक 19.01.2017 को उनकी भूमि ग्राम बावडिया कला, तहसील हुजूर, जिला भोपाल खसरा नंबर 10/4/8/23 रकबा 0.075 हेक्टेयर के पटवारी अक्स पर बटान कायम करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर प्रकरण क्रमांक 33/अ-3/2016-17 कायम किया गया।
- (10) उक्त प्रकरण में राजस्व निरीक्षक द्वारा पड़ोसी कृषकों/भूमि स्वामियों को सूचना पत्र देकर मौके पर उपस्थिति में प्रस्तावित बटान कायम करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बटान प्रतिवेदन तथा मौके पर प्राप्त आपत्तियों सहित दिनांक 14/06/2017 को प्रस्तुत किया। आवेदक संकट मोचन द्वारा उक्त प्रस्तावित बटान पर आपत्ति प्रस्तुत की गई। राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 14.06.2017 को जो बटान प्रस्तुत की गई थी, वह त्रुटिपूर्ण थी। आवेदक की आपत्ति को मान्य करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत प्रस्तावित बटान को आदेश दिनांक 21.06.2017 द्वारा निरस्त कर दिया और राजस्व निरीक्षक को पुनः निर्देशित किया कि वह मात्र मूल आवेदन पत्र अनुसार आवेदक की भूमि खसरा क्रमांक 10/4/8/23 की बटान विधि अनुसार तैयार कर आगामी पेशी पर प्रस्तुत करे।
- (11) दिनांक 03.07.2017 को वर्तमान आवेदक जब न्यायालय में उपस्थित हुये तो जात हुआ कि राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है। प्रस्तावित बटान भी प्रस्तुत कर दी है। यहां यह उल्लेखनीय है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके पर स्वत्व के मान से संशोधित बटान तैयार कर प्रस्तुत की गई। मौके पर उपस्थिति के सूचना पत्र अनावेदक आपत्तिकर्ता एवं पड़ोसी भूमि स्वामियों को नहीं दिये गये। एकतरफा कार्यवाही की गई और प्रतिवेदन में लेख किया कि आवेदक (सतीश चंद्र गुप्ता) एवं पड़ोसियों की सहमति ली जाना उचित है।
- (12) वर्तमान आवेदक द्वारा उक्त प्रतिवेदन एवं प्रस्तावित बटान पर पुनः आपत्ति प्रस्तुत की गई और आपत्ति इस आशय की प्रस्तुत की गई कि राजस्व निरीक्षक को पड़ोसी भूमि स्वामियों को सूचना पत्र दिया जाना था, नया प्रतिवेदन एवं भूमि को नापकर प्रस्तावित बटान प्रस्तुत की जाना चाहिए थी जो नहीं की गई है, भूमि का मिलान/भूमि के निश्चित भू-भाग की पहचान (Identification of a particular piece of land) करना थी जो नहीं की गई है इस कारण प्रतिवेदन अमान्य किया जावे एवं सभी पक्षों की उपस्थिति में तहसीलदार के आदेश के आलोक में पुनः प्रतिवेदन लिया जावे।




- (13) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 18.07.2017 द्वारा वर्तमान आवेदक/निगरानीकर्ता की आपत्ति को अमान्य कर दिया।
- (14) तहसीलदार द्वारा दिनांक 21.06.2017 को राजस्व निरीक्षक को आवेदक की भूमि के संबंध में विधि अनुसार पुनः बटान एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था जिसका पालन राजस्व निरीक्षक द्वारा नहीं किया गया। पड़ोसी भूमि स्वामियों को सूचना पत्र जारी नहीं किये गये। इस्तहार का प्रकाशन नहीं किया गया और प्रकरण में अंदाजे से पटवारी अक्स पर आवेदक की भूमि बताते हुए प्रस्तावित बटान प्रस्तुत कर दिया जो स्वीकार योग्य नहीं है।
- (15) राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण में द्वितीय बार जो प्रतिवेदन दिनांकित 28.06.2017 का दिनांक 03.07.2017 को प्रस्तुत किया गया है, उसमें यह लेख किया गया कि "मौके पर स्वत्व के नाम से संशोधित बटान तैयार कर प्रस्तुत है। उक्त बटान के संबंध में आवेदक एवं पड़ोसियों की सहमति ली जाना उचित है।"
- (16) प्रकरण में दिनांक 21.06.2017 को पूर्व में प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं प्रस्तावित बटान को निरस्त कर दिया गया था तो राजस्व निरीक्षक द्वारा किस प्रतिवेदन का संशोधित प्रतिवेदन/बटान तैयार किया गया। मौके पर सभी को सूचित कर प्रतिवेदन एवं प्रस्तावित बटान की कार्यवाही की जाना चाहिए थी, जो नहीं की गई। स्वत्व का मिलान किस आधार पर किया गया। आवेदक एवं पड़ोसियों की अनुपस्थिति में भूमि की पहचान कैसे सुस्थापित की गई। प्रतिवेदन से ही स्पष्ट है कि उक्त कार्यवाहियां नहीं की गईं इस कारण आलोच्य आदेश/ राजस्व निरीक्षक का प्रतिवेदन एवं प्रस्तावित बटान निरस्त किया जावे।
- (17) राजस्व निरीक्षक द्वारा उक्त प्रतिवेदन में लेख किया गया कि आवेदक एवं पड़ोसियों की सहमति ली जाना उचित है इससे ही यह सिद्ध है कि उक्त कार्यवाही पड़ोसियों को सूचना दिये बिना की गई है, अब प्रश्न यह है कि पड़ोसियों को सूचना है ही नहीं तो न्यायालय कैसे सहमति पड़ोसियों से ले सकता है क्योंकि पड़ोसी ना तो प्रकरण में पक्षकार है और ना ही उन्हें सूचित किया गया है। इससे स्पष्ट है कि आलोच्य आदेश दवाब में आकर पारित किया गया है।
- (18) यहां पर विशेष तौर पर उल्लेखनीय है कि अनावेदक सतीश चंद्र गुप्ता की प्रशासनिक स्तर पर उच्च अधिकारियों से जान-पहचान है ऐसा वे स्वयं कहते हैं और उनके भाई वन विभाग में बड़े पद पर आसीन हैं जिनके दवाब में आकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा


प्रकरण में कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान आवेदक द्वारा इस संबंध में अनावेदक क्रमांक 1 व उनके भाई के विरुद्ध लोकायुक्त के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर दी है।

(19) यहां भी विशेष तौर पर उल्लेखनीय है कि अनावेदक सतीश चंद्र गुप्ता द्वारा उक्त भूमि श्रीमती जसविंदर कौर से क्रय करना बताया गई है और अधीनस्थ न्यायालय में आवेदक के एक आवेदन पत्र के उत्तर दिनांक 19.05.2017 में स्वयं यह लेख किया है कि आवेदक के विक्रेता ने प्रकरण क्रमांक 19/अ-12/2007-08 आदेश दिनांक 18.09.2008 को विधिवत् सीमांकन कराया था जिसमें आवेदक के विक्रेता की स्वत्व व आधिपत्य के नाम से भूमि चिन्हित कर, बटान कायम कर सीमांकन किया था। अनावेदक सतीश चंद्र गुप्ता द्वारा उक्त प्रकरण की प्रमाणित प्रति की फोटोप्रति प्रस्तुत की है जिसके साथ सीमांकित किये गये नक्शे में भूमि, वर्तमान आवेदन के माध्यम से बटान में चाही गई भूमि में अंतर है। अनावेदक क्रमांक 1 सतीश चंद्र गुप्ता अधीनस्थ न्यायालय को दवाब में लेकर बेटर लोकेशन की भूमि चाहता है।


(20) वर्तमान याचिका में मण्डल को मात्र इस कथन का अवधारण करना है कि भूमि स्वामी की तथा मेढ़ पड़ोसियों की अनुपस्थिति में बिना उन्हें सूचना पत्र दिये क्या राजस्व निरीक्षक को एक तरफा फर्द बटान मौके पर बनाने का अधिकार है, दूसरे यह है कि क्या बटान किये बिना सीमांकन किया जाना संभव है, क्योंकि अनावेदक सतीश चंद्र गुप्ता के पूर्व स्वत्वाधिकारी द्वारा भूमि का सीमांकन कराया गया था जिसकी प्रति अभिलेख पर है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आवेदक द्वारा वर्तमान निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं:-

- (1) प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा अभिलिखित भूमिस्वामी से पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से दिनांक 31-3-2009 को क्रय की गई थी, तब से प्रश्नाधीन भूमि उसके स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य में चली आ रही है।
- (2) प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक क्रमांक 1 का नामान्तरण प्रमाणीकरण होकर उक्त खसरा नम्बर पर उसके नाम की प्रविष्टि की गई और उसके द्वारा उक्त भूमि पर तार फेंसिंग कर घेरा हुआ था।
- (3) आवेदक एक बिल्डर्स है, जिसने अनावेदक क्रमांक 1 की भूमि से लगी हुई भूमि रजिस्ट्री दिनांक 31-3-2014 को क्रय की थी।




- (4) प्रश्नाधीन भूमि पूर्व भूमिस्वामी विक्रेता द्वारा भूमि का सीमांकन प्रकरण क्रमांक 19/अ-12/07-08 दिनांक 18-9-2008 को सीमांकन करवाकर, कब्जा सौंपा गया था, इसी अनुसार अनावेदक क्रमांक 1 का यथावत कब्जा चला आ रहा है ।
- (5) अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा 1 जनवरी 2017 को अपने भूखण्ड पर गया, तब उसे पता चला कि आवेदक द्वारा तार फैसिंग तोड़कर, उसकी भूमि पर अनाधिकृत कब्जा कर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा रहा था । अतः अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा तहसील न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 61/बी-121/16-17 प्रस्तुत किया गया, जिस पर तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 की भूमि पर आवेदक का अनाधिकृत कब्जा पाये जाने पर अनाधिकृत निर्माण कार्य पर रोक लगाई गई है ।
- (6) आवेदक द्वारा सक्षम अधिकारी से खसरा क्रमांक 10/4/8/4, 10/4/8/11, 10/4/8/10 एवं 10/4/8/19 पर राजस्व निरीक्षक से मिलीभगत कर बटानें कायम करवा ली थी और अनावेदक क्रमांक 1 की भूमि पर भी बिना बटान नम्बर दिये लाईनें डलवा दी, जो अनुलग्नक 5 पर ऑरेंज स्याही से दर्शित हैं, जिससे स्पष्ट है कि ऑरेंज स्याही से दर्शित भूमि पर कोई बटान नम्बर कायम नहीं है, जो अनावेदक क्रमांक 1 की भूमि पर स्थापित होती है, इसका अनुचित लाभ लेकर इसी भूमि के कुछ हिस्से पर आवेदक निर्माण कार्य कर रहा था ।
- (7) अनावेदक क्रमांक 1 ने अपनी भूमि के बटान हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया, जिसमें आवेदक ने अनाधिकृत रूप से कथित आधारों पर आपत्ति प्रस्तुत की, जिसके कारण तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक को पुनः बटान प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आदेश दिये थे, जिसके आधार पर स्थल निरीक्षण करते हुए सिर्फ अनावेदक क्रमांक 1 की भूमि की बटान प्रस्ताव तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया है ।
- (8) आवेदक लालचवश अनावेदक क्रमांक 1 की बटान न हो पाये, जिस कारण आपत्ति दर आपत्ति आवेदन पत्र प्रस्तुत कर विलंबित किया जा रहा है और इसी उद्देश्य से इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक ने स्थल निरीक्षण के समय आवेदक की सहमति नहीं ली गई है, जिसका जवाब अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा प्रस्तुत किया गया है ।
- (9) संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला भोपाल द्वारा आवेदक को आदेश क्रमांक 587/एल.पी.-09/29(1)/नगानि/जिका/2015 दिनांक 19-12-2018 में यह उल्लेख किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी, टी.टी. नगर वृत्त भोपाल से जांच प्रतिवेदन में बटान




विसंगति एवं भूमि विवाद का उल्लेख है। प्रदत्त विकास अनुज्ञा क्रमांक BPLLPI 1057 दिनांक 25-8-2015 की शर्त क्रमांक 13 का उल्लंघन तथा भूमि विवाद होने के कारण आगामी आदेश तक प्रदत्त विकास अनुज्ञा स्थगित की जाती है, जिसमें यह भी निर्देशित किया गया है कि आवेदक स्थल पर विकास कार्य को राजस्व नक्शे में खसरा बटान की विसंगति दूर होने तक बंद रखे।


- (10) आवेदक का यह तथ्य प्रस्तुत करना कि आवेदक को बटान संबंधित सूचना प्रदान नहीं की गई असत्य एवं निराधार है पंचनामा मे संकट मोचन एसोसिट्स के प्रतिनिधि का हस्ताक्षर कर सहमति देना न्यायालय से समक्ष अवलोकन हेतु प्रस्तुत है।
- (11) अपीलाधीन प्रकरण में आवेदक को फर्द बटान प्रस्ताव पर असहमति-सहमति के लिये आहूत किया गया था और इसके संबंध में विचार होना था लेकिन प्रकरण को विलंबित करने के उद्देश्य से उक्त निगरानी जो पूर्णतः तथ्यहीन आधारहीन होने से विधि की दृष्टि में पोषणीय नहीं है जो निरस्त योग्य है।
- (12) आवेदक ने Premature आदेश के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत की है जो पोषणीय न होने के कारण निरस्त योग्य है।
- (13) अधीनस्थ न्यायालय आवेदक को विधि प्रक्रिया अनुसार अपना पक्ष समर्थन रखने का पूर्ण अवसर दे रहा है इसके उपरांत भी बदनियति से अपीलाधीन प्रकरण को विलंबित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत की है जो सदभाविक नहीं है जो निरस्त योग्य है।
- (14) अनुविभागीय अधिकारी टी.टी. नगर वृत्त द्वारा आयुक्त भोपाल को प्रेषित पत्र 10/17 से यह स्पष्ट है कि अपीलाधीन प्रकरण में विधिवत जांच होने के उपरांत ही कार्यवाही की जा रही है जिसके लिये अनुविभागीय अधिकारी टी.टी. नगर वृत्त का पत्र अनुलग्न-6 अवलोकनीय है।

5/ अनावेदक क्रमांक 2 के द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बावडियाकलां तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित खसरा क्रमांक 10/4/8/16 रकबा 0.027 एवं खसरा क्रमांक 10/4/8/8 रकबा 0.027 हेक्टेयर अनावेदक क्रमांक 2 के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमियां है, जिनका बटान 9-2-2007 को स्वीकृत किया गया था, किन्तु बटान कार्यवाही के प्रकरण में लिपिकीय त्रुटिवश प्रकरण क्रमांक अंकित नहीं होने के कारण बटान आदेश का अमल राजस्व नक्शे में नहीं किया जा सका है। यह भी कहा गया कि लिपिकीय त्रुटि एवं मेरी भूमि पर किसी अन्य का बटान स्वीकृत किये जाने के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण लम्बित है। अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक क्रमांक 2 की भूमियों के सम्बन्ध में

पूर्व में स्वीकृत बटान का अमल राजस्व नक्शे में होने के उपरान्त ही अन्य भूमियों का बटान स्वीकृत किया जा सकता है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक ने तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 21-6-17 जो उभय पक्ष की उपस्थिति में दिया गया था, के पालन में ही प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें पड़ोसियों की सहमति लेने के लिए तहसीलदार पर छोड़ दिया है । तहसीलदार द्वारा भी प्रश्नाधीन आदेश द्वारा सहमति/असहमति एवं तर्क हेतु प्रकरण नियत किया है, जिससे स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय के समक्ष राजस्व निरीक्षक के प्रस्ताव पर अपना पक्ष रखने का अवसर आवेदक को उपलब्ध है । स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय ने उक्त आदेश में ऐसा कोई बिन्दु निर्णीत नहीं किया है, जिसे निगरानी में हस्तक्षेप किया जा सके या आवेदक के हित प्रभावित होते हों । आवेदक को अपना पक्ष रखने का अवसर तहसीलदार के समक्ष उपलब्ध है, अतः वह तहसील न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष समर्थन करें । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, राजधानी परियोजना टी.टी. नगर वृत्त भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 18-07-2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।


(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर

